भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1616

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

छोटे निवेशकों की सुरक्षा

1616. श्री बी. श्रीरामुलु:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे निवेशकों की विशेषतः छोटे शहरों और कस्बों के निवेशकों की जागरूकता एवं सुरक्षा के लिए योजनाएं/परियोजनाएं शुरू की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों और इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तीन व्यावसायिक संस्थानों अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्थापित सांझे सेवा केन्द्रों (सीएससी) के सहयोग से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निवेशकों को सुविचारित निवेश निर्णय लेने में सहायता करते हुए उन्हें जागरूक करने की दृष्टि से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कपटपूर्ण स्कीमों के बारे में जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये कार्यक्रम लक्षित लाभार्थियों के अनुरूप हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय/क्षेत्रीय भाषाओं में चलाए जाते हैं।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के अधीन आवंटित की गई और खर्च की गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
2013-14	4.50	4.38
2014-15	3.00	2.84
2015-16	4.50	4.40

निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों, बहुभाषी मीडिया अभियान, मुद्रित सामग्री और वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विषयवस्तु से निवेशकों में अधिक विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने का निर्णय लेने के संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता आई है।

*****